0 40 / 2007

अन्तर्गत धारा–143ज0वि0अ0

बनाम

सरकार

ग्राम–परसौन

नकल **निर्णय** दिनांक 10-12-2007

प्रस्तुत वाद में श्री महेश व रामवीर पुत्रगण श्री फूले सिंह व रामकुमार व शिवकुमार पुत्रगण श्री खजान सिंह व श्रीमति शीला पत्नि स्व. श्री डालचन्द खुद व बहैसियत वली व कारकून व संरक्षिका सगी माता नाबालिगान नरेश व लाला व रविन्द्र (नाबालिगान) पुत्रगण स्व. श्री डालचन्द समस्त निवासीगण ग्राम गालन्द परगना डासना तहसील हापुड़ जिला गाजियाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि ग्राम परसौन परगना डासना तहसील हापुड स्थित भूमि खाता संख्या 207 खसरा सं. 488 मि. रकबा 0.506 हे. लगानी 12.50 रूपये सालाना भूमि का भूमिधर व उस पर काविज व दखील हूँ। जिसमे काफी समय से कृषि कार्य नही हो रहा है। इस प्रकार अब उक्त भूमि अकृषि भूमि हो गयी है। अन्त में उक्त भूमि को अकृषक भूमि घोषित करने व उस पर नियत माल गुजारी समाप्त करने की याचना की गयी है।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के सबंध में तहसीलदार हापुड तथा हा0पि0वि0प्राधिकरण से जॉच करायी गयी। तहसीलदार हापुड ने अपनी जॉच आख्या दिनॉक 04.12.2007 में हल्का लेखपाल की आख्या जिसमे उल्लिखित किया गया है कि स्थित ग्राम परसौन परगना डासना तहसील हापुड जिला गाजियाबाद के भूमि खाता संख्या 353 खसरा सं. 487 मि. रकबा 0.177 हे. में कृषि भूमि नही हो रही है। 11x11 का एक कमरा बना हुआ है। मौके पर कुक्कुट व मतस्य पालन नही हो रहा है। रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है। उक्त आख्या को तहसीलदार हापुड़ द्वारा संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है।

शासनादेश सं. 8164/5–49 ए./03 दि. 28.01.2004 मे यह व्यवस्था दी गयी है कि कृषि भूमि का भू–उपयोग परिवर्तित होने पर उप–जिलाधिकारियों द्वारा अभियान चलाकर स्वप्रेरणा से धारा–143 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। प्रश्नगत आराजी आबादी क्षेत्रान्तर्गत स्थित है तथा इसे गैर कृषि उपयोग हेतु प्रयोग किया जाता है। माल अभिलेखों में कृषि दर्ज होने के कारण स्टाम्प अपवंचना हो रही है। अतः राजकीय हित मे इस गैर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

मैने पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार हापुड न अपनी आख्या दिनॉक 04.12.2007 में उक्त भूमि को अकृषक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की है ऐसी स्थिति मे मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हूँ कि विवादित भूमि को को अकषक घोषित किये जाने मे कोई वैधानिक बाधा नही है।

आदेश

स्थित ग्राम परसौन परगना डासना तहसील हापुड जिला गाजियाबाद मे भूमि खसरा सं. 488 मि. रकबा 0.506 हे. लगानी 12.50 रूपये सालाना को तहसीलदार हापुड की आख्या के आधार पर एवं **शासनादेश के कम मे स्टाम्प अपवंचना रोकने के उददेश्य से** धारा 143–ज. वि.अ. के अन्तर्गत अकृषक घोषित किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति तहसीलदार हापुड को राजस्व अभिलेखों की दुरूस्ति हेतु तथा एक प्रति उपनिबन्धक हापुड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। अतः वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह कोई भी निर्माण कार्य हा.पि.वि.प्रा./सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही करेगे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

दिनांकः– 10 – 12 –2007

(बच्चू सिंह)
परगनाधिकारी
हापुड।

कलेक्टर गाजियाबाद

क्रमांक 13/1315

... की दिनांक 26/7/2013

... का दिनांक 27/7/2013

नकल देने की दिनांक 27-7-13

नकल कर्त्ता

तुलना कर्त्ता

सत्यप्रतिलिपि 27-7-13

सदर अभिलेखागार